न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, कैम्प कोर्ट, बगहा, पश्चिम चम्पारण,

आपराधिक पुनरीक्षण वाद संख्या–18/2026

अरविन्द सिंह एवं चार अन्य बनाम राज्य सरकार एवं चार अन्य

18.04.2026

1. अभिलेख सुनवाई हेतु नियत है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत वाद के सभी पॉच आवेदकगण की ओर से शपथ पत्र से सर्मथित कर एक आवेदन वाद वापसी हेतु दाखिल किया गया है।

2. वाद पुकार कराया गया। वाद के पुकार पर सभी पॉच आवेदकगण अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए।

3. आवेदकगण की ओर से वाद वापसी हेतु आज दाखिल आवेदन पर सुना एवं अभिलेखक का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपराधिक पुनरीक्षण वाद आवेदक अरविन्द सिंह एवं चार अन्य के द्वारा न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगहा के द्वारा वाद संख्या– 373/2025, अतंर्गत धारा– 126 भा0ना0सु0स0 (अरविन्द सिंह एवं अन्य बनाम प्रेमशंकर सिंह एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 27.01.2026 के विरोध में दाखिल किया गया है, परंतु आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आज की तिथि में एक आवेदन इस आशय पर दाखिल किया गया है कि प्रस्तुत वाद के आवेदकगण इस वाद में संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। अतः निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत अपाराधिक पुनरीक्षण वाद की समस्त कार्यवाही को वाद वापसी के आधार पर समाप्त करने की कृपा की जाए। आवेदकगण की ओर से वाद वापसी हेतु दाखिल आवेदन पर सभी पॉच आवेदकगण का हस्ताक्षर बना है जिसे उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा सत्यापित भी किया गया है।

4. तदनुसार, आवेदकगण की ओर से वाद वापसी हेतु आज दाखिल आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है, तथा प्रस्तुत अपराधिक पुनरीक्षण वाद की समस्त कार्यवाही को वाद वापसी के आधार पर समाप्त किया जाता है। कार्यालय प्रस्तुत अपराधिक पुनरीक्षण वाद से संबंधित अभिलेख को नियमानुसार र्निधारित समय सीमा के भीतर अभिलेखागार व्यवहार न्यायालय, बगहा में जमा करें।

(लेखापित)

Anamika
18/04/2026

(अनामिका टी.)
सत्र न्यायाधीश
कैम्प कोर्ट, बगहा
पश्चिम चम्पारण।